दैनिक भास्कर
रतलाम 23-12-2021

हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी • सायबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं

बैंक अधिकारियों ने बताई ऑनलाइन फ्रॉड से बचने की सावधानियां

भास्कर संवाददाता | रतलाम

सायबर फ्रॉड की रोकथाम और इससे संबंधित अपराध की विवेचना के संबंध में बुधवार को बैंक अधिकारियों की बैठक हुई। सभी बैंक अधिकारियों ने ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के लिए सावधानियां बताई। अधिकारियों ने बताया हेल्पलाइन नंबर 155260 जारी किया है। सायबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति 24 घंटे के अंदर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। पोर्टल के माध्यम से शिकायत पर तत्काल कार्यवाही शुरू हो जाती है।

एसबीआई उप प्रबंधक ऑडिट एवं एसबीआई अधिकारी संघ के क्षेत्रीय सचिव विजयकुमार सोनी, पेमेंट गेटवे के नोडल अधिकारी रौनकसिंह मेहरा, सौरभ शर्मा, कृष्णा शर्मा ने ऑनलाइन फ्रॉड, सोशल मीडिया के जरिए धोखाधड़ी और हनीट्रेप संबंधित अपराधों से बचने के लिए जानकारी दी। एसपी गौरव तिवारी, एएसपी सुनिल पाटीदार, रक्षित निरीक्षक खिलावन सिंह कंवर उपस्थित थे।

ये रखें सावधानी : एसएमएस वाले हेल्प लाइन पर कॉल कर ट्रांजक्शन ब्लॉक करें

- जब भी किसी को रुपए भेजना होते हैं तो पाने वाले को यूपीआई पिन की जरूरत नहीं होती। यदि रुपए प्राप्त करते समय यूपीआई पिन की आवश्यकता हुई तो आपके साथ फ्रॉड हो रहा है।
- सायबर फ्रॉड होने पर संबंधित बैंक को आवेदन देकर पावती आवश्यक रूप से लें।
- हर ट्रांजक्शन की जानकारी एसएमएस से मिलती है। यदि आपके साथ गलत ट्रांजक्शन हुआ है तो प्राप्त एसएमएस में दिए हेल्प लाइन पर कॉल कर तुरंत ही ट्रांजक्शन को ब्लॉक करवा सकते हैं।
- सोशल मीडिया की साइट पर अज्ञात व्यक्ति की फ्रैंड रिक्वेस्ट, वीडियो कॉल को एक्सेप्ट न करेंगे।

ऐसे बचें : अनजान व्यक्ति के कहने पर एप डाउनलोड न करें

- यदि कोई आपको अपने मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाता है एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करना चाहिए।
- किसी भी प्रकार का कैश बैक या रिवार्ड देने के लिए पेमेंट गेटवे द्वारा फोन नहीं किया जाता। रिवार्ड या कैश बैक के लिए रिक्वेस्ट आती है तो सायबर फ्रॉड करने वाले पेमेंट भेजने की जगह लेने की रिक्वेस्ट भेजकर रुपए निकाल लेते हैं।
- पेमेंट गेटवे पर रुपयों के लेनदेन संबंधित शिकायत के लिए गुगल पर नंबर सर्च नहीं करें। एप्लिकेशन (एप्प) में हेल्प डेस्क पर दिए नंबर पर ही शिकायत दर्ज करवाएं।

सायबर फ्राड एवं बैंक से जुड़ी शिकायतों के लिये बैंकों के हेल्पलाइन नंबर

• स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	18001111109
• एचडीएफसी बैंक	07316160616
• पंजाब नेशनल बैंक	18001802222
• यूको बैंक	18001030123
• यूनियन बैंक	1800222244
• बंधन बैंक	18002588181
• पंजाब एंड सिंध बैंक	18004198300
• इंडसइंड बैंक	18602677777
• बैंक ऑफ महाराष्ट्र	18001022636
	18002334526
• मध्यप्रदेश ग्रामीण बैंक	18002336295

500 शिक्षक लोकायुक्त की जांच के नाम पर उलझे, अब तक नहीं हुआ संविलियन

ssmp

प्रांतीय उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी शिक्षा शिक्षक प्रकोष्ठ ने अन्याय बताया

जागरण, रीवा। अध्यक्ष एवं प्रांतीय उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी शिक्षा शिक्षक प्रकोष्ठ रीवा मध्य प्रदेश हर्ष लाल शुक्ला ने बताया कि शासन के आदेशानुसार रीवा जिले के शिक्षकों को पंचायत विभाग से शिक्षा विभाग में संविलियन करने की जब बात आई तो रीवा जिले के कुछ शिक्षा विशेषज्ञों के द्वारा यह आरोप लगा दिया गया की रीवा जिले के हर विकास खंडों से मिलाकर लगभग 500 ऐसे शिक्षक हैं जिनका प्रकरण लोकायुक्त में चल रहा है और शिक्षा विभाग में संविलियन होने से उन्हें वंचित किया गया। बड़े दुख का विषय है की ऐसे शिक्षक न्यायालय जाते हैं तो उनको इसके लिए स्टे मिल जाता है, लोकायुक्त में जानकारी प्राप्त करते हैं तो लोकायुक्त द्वारा यह कहा जाता है आप के खिलाफ मेरे कार्यालय में कोई प्रकरण नहीं चल रहा है, लेकिन हमारे जिले के ऐसे असहाय शिक्षकों की बात सुनने को कोई तैयार नहीं है और उनका संविलियन आज तक शिक्षा विभाग में नहीं किया गया। इस संबंध में कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी महोदय, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा तथा जिला शिक्षा अधिकारी रीवा ऐसे सभी शिक्षक जिनका कहीं किसी प्रकार से कोई प्रकरण प्रचलन में नहीं है। सभी का शिक्षा विभाग में संविलियन का एक आदर्श प्रस्तुत करें। साथ ही इन सभी शिक्षकों को जिन्हें आज तक एक भी पदोन्नति नहीं दी गई है। पदोन्नति प्रदान की जाए।